न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : **अवधेश मीना,** आई.ए.एस.

प्र.सं. 48 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 188

1. मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

1. अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई / एसपीआईओ / 2024 / 109 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण विशिष्ट शासन सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, राजस्व(ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को हस्तांतरित करते हुए आवेदक को आवेदन हस्तांतरण की सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक सूकाअ / 24 / 572 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक को वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 523 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्रांक / सू.क.अ. / 2024 / 523 दिनांक 19.11.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को प्रतिउत्तर प्रेषित कर कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई है। परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने सूचना दिनांक 19.11.2024 को उपलब्ध करवाई है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक 17.10.2024 को हस्तांतरित कर दिया गया था और हस्तगत अपील दिनांक 05.11.2024 को पेश हो चुकी है। प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने से पूर्व ही अपील पेश हो चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रतियुत्तर प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़